

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) बीकानेर

क्रमांक:- सीबी/सहायता/अग्नि/2020-21/ 1250

दिनांक:- 24-06-2020

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक 32-7/2014 एनडीएम-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 1ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरणसर/सरदारशहर द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर आगजनी दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नियमों के तहत उनके नाम के सामने अंकित अनुसार सहायता भुगतान हेतु कुल राशि रुपये 400000/- (अखरे चार लाख रू. मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती है -

क्र.सं.	प्राथी का नाम मय पिता का नाम	दुर्घटना दिनांक	दुर्घटना स्थान	मृतक व्यक्ति का नाम	आवेदक का संबंध	मानव क्षति पर देय सहायता
1	श्रीमती पूनम पत्नी श्री राजेश जाट, निवासी कालू, तह. लूनकरणसर	17.03.2020	मृतका के ननीहाल, ढाणी कलेरा, तह. सरदारशहर, जिला चूरू ढाणी में आग लगने से चार बच्चों की मौत	कुमारी मनीषा, आयु 3 वर्ष	माता	400000
				योग		400000

(अखरे रू. चार लाख मात्र)

मृतक के आश्रितों को सहायता राशि भुगतान हेतु बजट मांग की जावे।

लेखा शीर्षक :-

- 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
01 सूखा
800 अन्य व्यय
(03) राहत कार्यों का व्यय
(02) अग्नि सहायता
[12] सहायतार्थ अनुदान

//

जिला कलक्टर (सहायता)
बीकानेर

दिनांक:- 24-06-2020

क्रमांक:- सीबी/सहायता/अग्नि/2020-21/ 1251-1255
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर
4. तहसीलदार (भू. अभिलेख), लूनकरणसर/सरदारशहर, जिला चूरू
5. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर (सहायता)
बीकानेर